कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-46/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिक परिषद, मसूरी

जनपद- देहरादून

विषय : नगर पालिका परिषद, मसूरी का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर एंव भाग -4(ब)-2 में 06 प्रस्तर एवं STAN 02 प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-46/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 साईं इंस्टीट्यूट के पास, राजपुर रोड़, देहरादून
3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-2017 के लिये नगर पालिका परिषद मसूरी, देहरादून पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री मनमोहन मल्ल	-	अध्यक्ष(न.पा.प.मसूरी)
श्री दरवान सिंह राणा	-	अधिशासी, अधिकारी नगर पालिका परिषद **मसूरी**

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री नित्यान्नद सिंह स.ले.प.अ.
(iv) श्री सत्येन्द्र सं.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 02.09.2016 से 15.09.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पांलिका परिषद- मसूरी, जिला- देहरादून**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 64.75 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 29000

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 26
   (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 06
4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 247
6. पंचायतराज की सम्पत्तियां : -दुकान, आवास, भूमि, होटल, बारातघर इत्यादि।
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -
   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -
   (द) लाभार्थियों की संख्या:
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : सलंग्न विवरण अनुसार
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-
   (अ) सामान्यः -
   (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया:-

भाग-4 ब-1

प्रस्तर 1:- ` 78.62 लाख की स्वीकृत धनराशि के पश्चात भी ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) 2000 के नियमों का पालन न करना।

नगर पालिका परिषद् में ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि विभाग को सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 151 दिनांक 25.03.2013 के अन्तर्गत निदेशक शहरी विकास के पत्र सं. 1053/शा. नि. वि/ठो. अप. यो./13 दिनांक 09.08.2013 द्वारा रुपये 78.62/- लाख की धनराशि ड्राफ्ट सं. 414211 दिनांक 30.07.2013 के माध्यम से निम्न शर्तों के अधीन प्रेषित की गई थी।

(i) कि उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा प्राप्त विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सिविल कार्यों सहित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

(ii) उक्त धनराशि का दिनांक 31.3.2013 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

नगर पालिका परिषद् द्वारा उक्त धनराशि से दो कार्यों हेतु निविदांऐ आमांत्रित कर दो ठेकेदारों को न्यूनतम निविदाओं के आधार पर आवंटित किए गए थे कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश अनुबन्ध/ठेकेदार का नाम
1.	टिहरी बाईपास रोड लाण्डौर मसूरी पर आई.डी.एच. स्टेट के पास सेग्रिगेशन हाऊस (2 No) एवं पिटस का निर्माण	32,64,850	6 माह	1357/11.10.2013 26.10.13 श्री त्रिलोक सिंह खरौला
2.	टिहरी बाईपास रोड लाण्डौर मसूरी पर IDHP Estate के पास सेग्रिगेशन हाऊस (18 Nos) एवं पिटस का निर्माण (50 Nos)	45,99,600	6 माह	1354/8/11/13 6.11.13

क्रम सं. 1 पर कार्य के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चलित देयकों द्वारा कुल ` 24,720,44/- का भुगतान ठेकेदार को वाऊचर सं. 95, मई 2014 व बाऊचर संख्या 160, 22 जुलाई 2015 मे किया गया था। क्रम सं. 2 पर पाँच चलित बिलो के सापेक्ष ` 31,84,647/- का भुगतान किया गया था। अन्तिम भुगतान वाऊचर सं. 19, फरवरी 2016 को किया गया था। इस प्रकार दोनो कार्यों पर ` 56,56,691/- (` 24,720,44+` 31,84,647/-) का भुगतान किया गया था। परन्तु दोनों कार्य सितम्बर 2016 तक

अपूर्ण थे। कार्यों में 2.5 वर्ष का विलम्ब हो चुका है। कार्यो के अपूर्ण रहने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को निर्गत न होने के कारण शासन द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि स्वीकृत/प्राप्त नही हो सकी थी। जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के साथ 10 जून 2013 को किए गए अनुबन्ध के अनुसार मार्च 2014 तक ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण किए जाने थे अन्यथा सम्बन्धित विभागो से धनराशि वापस प्राप्त की जाएगी। अनुबन्ध के अनुसार ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण नियमों जैसे बंद वाहनो का उपयोग, अलग-अलग रंगो के कूडेदानो का उपयोग कूडे के पृथक करण , प्रसंस्करण, राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा कूडे के निस्तारण से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित थे, को सितम्बर 2016 तक पूरा नहीं किया गया था। क्योंकि पालिका परिषद् द्वारा कूडे का निस्तारण खुले मैदान में किया जा रहा था, बन्द वाहनो का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र भी पालिका के पक्ष में निर्गत नहीं किया गया था। उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण कूडा निस्तारण हेतु पिटस एवं सेग्रिगेशन हाऊस का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा सका था। जिसका प्रभाव पर्यावरण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो/नियमों के पालन पर पडा था

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने पर कूडा निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी, तथा कूडे हेतु खुले वाहनों का उपयोगा किया जा रहा है। तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नही लिया गया था।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि उक्त कार्यों को मार्च 2014 तक पूरा किया जाना था ताकि ठोस अपशिष्ट (हथालन एवं प्रबन्धन) नियम 2000 के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता तथा शहरी विकास मंत्रालय के अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जा सकती। परन्तु उक्त करार का उल्लंघन कर विभाग द्वारा शासनादेशो का पालन नही किया गया है तथा स्वीकृत धनराशि ` 78.62 लाख का भी सुसमय सदुपयोग नहीं किया जा सका था।

अतः ` 78.62 लाख से होने वाले कार्यो के अपूर्ण रहने तथा ठोस अपशिष्ट (हथालन एवं प्रबन्धन) 2000 के नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 1:- उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) का उल्लघंन कर ` 10.28 करोड़ के निर्माण/मरम्मत कार्यों का कराया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) के अनुसार ` 10,00,000/- से अधिक अनुमानित लागत के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित किये जायेगे।

नगर पालिका परिषद मसूरी की निर्माण संबंधी पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि इकाई द्वारा 46 निर्माण कार्यों की (संलग्रक क के अनुसार) जिसमें प्रत्येक निर्माण/मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत ` 10,00,000/- से ऊपर थी, को किसी लोक निर्माण संगठन से निर्माण/मरम्मत करवाने की बजाय खुद ही ठेकेदार के माध्यम से निर्माण करवा लिया गया।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि समस्त निर्माण कार्य पालिका द्वारा सदन में प्रस्ताव पारित करने के बाद ही कराये गये है एवं किये गये भुगतान लो.नि.वि. के सहायक अभियन्ता के निरीक्षण एवं गुणवत्ता सत्यापित करने के पश्चात ही संबन्धित ठेकेदार को भुगतान किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) के अनुसार ` 10,00,000/- से अधिक अनुमानित लागत के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्यों को लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित कराया जाना चाहिए था। इस संबंध में उत्तराखण्ड़ शासन ने भी अपने पत्रांक संख्या 539/IV(1)/2014-02(25)/2013 दिंनाक 09 जून 2014 तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड़, देहरादून ने अपने पत्रांक-502/श.वि.नि.-1069 पी.आई.एल.-55/2013 दिंनाक 09 जून 2014 के द्वारा समस्त नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित पत्र के माध्यम से यह बताया गया था कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य के नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतो में निर्माण कार्यों इत्यादि में उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निदेशालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि स्थानीय निकायो में सामग्री क्रय एवं विभिन्न निर्माण कार्यों आदि में उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत नियमों/प्रावधानों का प्राथमिकता के आधार पर कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये। परन्तु इकाई द्वारा इन नियमों का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) के उल्लघंन करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 2(अ):- कार पार्किंग के ठेकों पर ` 29,99,737/- की लम्बित वसूली।

नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक प्रत्येक वर्ष निविदाओं के आधार पर ठेकेदारों को कार पार्किंग हेतु ठेके आवंटित किये जाते है, जिसके सापेक्ष बोली की धनराशि सम्बन्धित वर्ष के अन्दर निर्देशित किस्तों में जमा की जानी आपेक्षित रहती है।

नगर पालिका परिषद, मसूरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित ठेकेदारों द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं की गई थी जिसके कारण वर्ष 2015-16 तक ` 29,99,737/- की धनराशि वसूली हेतु लम्बित थी -

वर्ष	लम्बित वसूली	ठेकेदार का नाम
2010-11	4,00,000.00	श्री सुरेन्द्र सिंह राणा
2011-12	4,40,150.00	श्री अमित खत्री
2012-13	13,15,125.00	श्री भरत सिंह कुमाई
2013-14	4,62,500.00	श्री मनिष खत्री
2013-14	1,27,254.00	मजदूर संघ
2014-15	2,54,705.00	मजदूर संघ
योग-	**29,99,737.00**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही नोटिस द्वारा की जा रही है तथा वसूली शीघ्र की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ठेके से सम्बन्धित धनराशि नगर पालिकाओं की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है तथा वसूली लम्बित रहने के कारण विभाग द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों एवं सम्पत्ति सृजन हेतु किये जाने वाले उपायों का क्रियानवयन करने मे होने वाली परेशानियों से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अतः कार पार्किंग के ठेकों पर ` 29,99,737/- की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(ब):- दुकान, भूमि एवं आवास किराये के रुप में ` 2,85,89,094/- की लम्बित वसूली।

नगर पालिका परिषद मसुरी की दुकान भूमि आवास से प्राप्त होने वाले किराये से सम्बन्धित पंजिकाओं/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पालिका में वर्ष 2015-16 के अन्त तक ` 2,58,89,094/- की एक बडी धनराशि वसूली हेतु लम्बित है जो कि पालिका द्वारा उक्त वसूली से सम्बन्धित किये गये प्रयासों को दर्शाता है। प्रति वर्ष माँग के सापेक्ष वसूली में वृद्धि होती है। वर्ष 2012-13 में 63% वसूली होने के सापेक्ष 2013-14 से 2015-16 तक क्रमशः 39%, 35% एंव 51% की धनराशि ही वसूल की गई थी। लम्बित वसूली का विवरण निम्नवत है-

(धनराशि ` में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	चालू मांग	योग	वसूली	अवशेष
2012-13	42,79,053/-	1,61,56,876/-	2,36,65,545/-	1,47,44,847/-	84,61,466/-
2013-14	84,61,466/-	1,86,19,325/-	2,70,80,791/-	1,06,07,714/-	1,64,73,077/-
2014-15	1,64,73,077/-	1,88,24,073/-	3,52,97,150/-	1,24,86,074/-	2,24,51,076/-
2015-16	2,24,51,076/-	3,61,49,123/-	5,86,05,328/-	3,00,16,234/-	2,85,89,094/-

उक्त धनराशि से पालिका द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्य एवं सम्पत्ति सृजन से सम्बन्धित कार्य हो सकते थे। जिससे जनता को लाभ मिल जाता तथा पालिका को आय में वृद्धि होती। उक्त धनराशि यदि बैंक खातों में जमा की जाती तो पालिका को ब्याज के रुप में धनराशि प्राप्त होती।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित बकायोदारों को नोटिस द्वारा सूचित कर लम्बित वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि की वसूली का लम्बित रहना दर्शाता है कि विभाग द्वारा बकायादारों के विरुद्ध अर्थदण्ड़ जैसी कार्यवाही एवं अन्य प्रावधान न करने के कारण ही वसूली हेतु लम्बित धनराशि बढ़ गई है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(स):- भवन कर एवं समाजिक कर की धनराशि ` 477.66 लाख की वसूली लम्बित रहना।

नगर पालिका परिषद, मसूरी के भवन कर एवं समाजिक कर वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 तक विभाग द्वारा ` 477.66 लाख की वसूली नहीं की गई थी जिससे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा वसूली हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गये थे. लम्बित वसूली का विवरण निम्नवत हैः-

भवन कर	**वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**माँग**	**योग**	**वसूली**	**अवशेष**
52%	2013-14	3,55,80,634/-	2,57,45,284/-	6,13,25,878/-	3,16,90,650/-	2,96,35,248/-
35%	2014-15	2,96,35,248/-	1,91,34,746/-	4,87,69,994/-	1,68,56,938/-	3,19,13,056/-
41%	2015-16	3,19,13,056	2,51,79,911/-	5,70,92,967/-	2,34,07,365/-	3,36,85,602/-
	सामाजिक कर					
39%	2013-14	92,95,592/-	46,42,359/-	1,39,37,951/-	53,68,810/-	85,69,141/-
30%	2014-15	85,69,141/-	96,94,641/-	1,82,63,782/-	53,98,289/-	1,28,65,493/-
23%	2015-16	1,28,65,493/-	54,68,865/-	1,83,34,358/-	42,54,292/-	1,40,80,066/-

इस प्रकार ` 4,77,65,668 (3,36,85,602+1,40,80,066) को धनराशि वसूलने हेतु बकाया दरों के विरुद्ध नहीं की गई थी। जिसके कारण लम्बित वसूली में प्रत्येक वर्ष वद्धि हो रही थी। भवन करों की वसूली में तीन वर्षों में क्रमशः 52%, 35% एवं 41% तथा समाजिक करों में क्रमशः 39%, 30% एवं 23% ही की गयी थी जो की निराशाजनक है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि लम्बित वसूली हेतु आर.सी. जारी की गई है। कर्मचारियों की कमी तथा मैनुअल कार्य के कारण वसूली प्रभावित हुई। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि करों से प्राप्त होने वाली आय पालिका का एक मुख्य स्रोत है जिस विभाग द्वारा विकास एवं सम्पत्ति सृजन के कार्य कराये जा सकते थे परन्तु इतनी बड़ी धनराशि की वसूली लम्बित रहने तथा प्रत्येक वर्ष वसूली में वृद्धि होने के कारण विकास एवं अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। जिससे पालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बाधा उत्तपन्न होती है।

अतः भवन कर एवं समाजिक कर की धनराशि ` 477.66 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 3:- ` 1.31 लाख के स्टाम्प कम लगाने के कारण राजस्व की हानि।

महानिदेशक निबन्ध के पत्र स. 375 दिंनाक 13 जूलाई 2012 जो कि निदेशक शहरी एवं विकास देहरादून को सम्बोधित है तथा समस्त जिला निबन्धको एवं सहायतक महानिरीक्षक निबन्धन देहरादून को पृषठांकित है के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश स. शून्य दिंनाक 17.02.2011 द्वारा स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों) द्वारा दिये जाने वाले ठेको पर स्टाम्प शुल्क ठेकों की सम्पूर्ण राशि का दो प्रतिशत है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का समादर करते हुये नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वसूलने का कष्ट करें।

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक दिये गये कार पार्किंग से सम्बन्धित ठेकों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा केवल ` 100 की धनराशि स्टाम्प डयूटी के रुप में वसूली जा रही है जिसके कारण ` 1,31,183/- के राजकीय राजस्व की हानि हुई है। ठेकों का वर्षवार विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	**सम्पूर्ण धनराशि**	**लगाये गये स्टाम्प**	**देय स्टाम्प**	**कम स्टाम्प/हानि**
2012-13	` 17,53,500/- ` 4,63,867/-	` 100 ` 100	44347	44147
2013-14	` 9,00,000/- ` 5,10,254/-	` 100 ` 100	28205	28005
2014-15	` 9,00,000/- ` 5,10,254/-	` 100 ` 100	28205	28005
2015-16	` 9,00,000/- ` 5,61,280/-	` 100 ` 100	31026	31026
		` 800	**132803**	**131183**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में तदानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा गत वर्षों से ठेकेदारों को पत्र द्वारा सूचित कर कार्यवाही की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा शासनादेशो का पालन न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा जिसके कारण राजकीय राजस्व की हानि हुई है।

अतः कम स्टाम्प शुल्क वसूलने के कारण ` 1.31 लाख की राजस्व हानि से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 4:- जमानत राशि के रुप में ` 63.99 लाख की देनदारी।

निर्माण कार्यों के सापेक्ष कार्य के प्रारम्भ में तथा चलित देयको से विभागीय सुरक्षा एवं कार्यों के समयक रुप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये सफल निविदा-दाताओं से कार्यपूर्ति धरोहर राशि ली जायेगी। सफल निविदा-दाता कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा प्रतिभूति वापस की जायेगी। कार्य पूर्ति के एक वर्ष या निर्धारित अवधि के पश्चात उक्त धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार को वापस की जाती है। निक्षेप राशि ठेके की राशि के अनुसार प्रतिशत के आधार पर ली जाती है।

नगर पालिका परिषद मसूरी में ठेकेदारों से ली गई निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्राप्त की गई निक्षेप राशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग के पास ठेकेदारों से प्राप्त ` 63,99,208/- की राशि वापस नहीं की गई थी, जिसके कारण विभाग के ऊपर प्रत्येक वर्ष देनदारी के रुप में एक बड़ी धनराशि की वृद्धि हो गई थी। जिसका प्रभाव विभाग के अन्य योजनाओं एवं कार्यों पर पड़ सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया की सम्बन्धित ठेकेदारों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर धनराशि भुगतान कर दी जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा वर्णित आदेशों के अनुसार निक्षेप राशि को ठेकेदारों को निर्धारित अवधि में वापस किया जाना चाहिए था ताकि विभाग के ऊपर अनावश्यक देनदारी न बढे तथा भविष्य में प्राप्त अनुदानों एवं बजट पर देनदारी का दुष्प्रभाव न पड़े तथा विभाग को अनावश्यक दायित्वों के निर्वाहन न करना पड़े।

अतः ` 63.99 लाख की निक्षेप राशि के रुप में देनदारी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 5:- ` 13.49 लाख की धनराशि पाँच से पन्द्रह वर्ष के पश्चात भी असमायोजित/अवरुद्ध रहना, तथा ` 1.43 लाख का व्ययावर्तन करना।

नगर पालिका परिषद, मसूरी से सम्बन्धित अनुदान पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि विभाग को पर्यटन विभाग से पत्र स. 189 दिनांक 24.04.1999 तथा पत्र स. 3284 दिंनाक 04.09.1998 द्वारा क्रमशः ` 9,78,040/- व ` 3,28,000/- को धनराशि पार्किंग स्थल और बस स्टेशन निर्माण हेतु तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु अनुदान आवंटित किया गया था जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा धनराशि ` 1,43,327/- का उपयोग वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित कार्य योजना पर व्यय न करके अन्यत्र किया गया है इस प्रकार ` 1,43,327/- का व्ययावर्तन किया गया था तथा ` 11,62,713/- की धनराशि का उपयोग वर्ष 2006-07 के पश्चात न करने के कारण विभाग के पास अवरुद्ध पड़ी थी।

इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के अन्तर्गत 2011-12 में पत्र स. 990 दिंनाक 05.11.2012 चैक सं. 268787 दिनांक 05.12.2011 द्वारा ` 1,86,000/- की धनराशि क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुननिर्माण हेतु प्राप्त हुई थी। कार्यों की कुल लागत ` 3.10 लाख के सापेक्ष उक्त धनराशि अवमुक्त की गई थी परन्तु 2016 तक उक्त धनराशि असमायोजित पड़ी थी।

इस प्रकार दोनों मदों के अन्तर्गत ` 13,48,713/- को धनराशि विभाग के पास पाँच से पन्द्रह वर्षों की अवधि के पश्चात भी असमायोजित/अवरुद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि ` 9,78,040/- का उपयोग कर दिया गया है तथा शेष राशि का उपयोग शीघ्र कर लिया जायेगा तथा व्ययावर्तन बोर्ड प्रस्ताव अनुसार किया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि धनराशि का लम्बे समय से उपयोग न करना तथा धनराशि अवरुद्ध रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा कार्ययोजनाओं पर पाँच से पन्द्र वर्ष तक कार्यवाही/क्रियान्वयन न करना शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। धनराशि के व्ययावर्तन हेतु विभाग को शासन से अनुमति लेनी चाहिए थी जो कि नहीं ली गई है जैसा कि अनुदानों से सम्बन्धित पत्रों में निर्देशित किया जाता है।

अतः ` 13.49 लाख की असमायोजित/अवरुद्ध धनराशि तथा ` 1.43 लाख के व्ययावर्तन से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 ब-2

प्रस्तर 6:- शासनादेश का उल्लघंन कर इकाई द्वारा 14वें वित्त की धनराशि से ` 34.47 लाख के गैर-अनुमन्य कार्यों का कराया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन ने अपने पत्रांक संख्या XXVV (1)/2015 दिनांक 25 जुलाई 2015 के द्वारा 14 वें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि इन शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अवमुक्त की थी कि अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओ के स्तर को सुधारने यथाः जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़को, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाईट तथा कब्रिस्तान और शमशानों के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद, मसूरी की 14वें वित्त से संबन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर ` 34.47 लाख की धनराशि से निम्नलिखित 02 गैर-अनुमन्य निर्माण कार्य कराये गाएः-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1.	2015-16	14 वां वित्त	झड़ीपानी से कोल्हूखेत की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य	19.35
2.	2015-16	14 वां वित्त	हुसैनगंज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य	15.12
			कुल धनराशि	**34.47**

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि समस्त निर्माण कार्य पालिका द्वारा सदन में प्रस्ताव पारित करने के बाद ही कराये गये हैं एवं किये गये भुगतान लो.नि.वि. के सहायक अभियन्ता के निरीक्षण एवं गुणवत्ता सत्यापित करने के पश्चात ही संबन्धित ठेकेदार को भुगतान किया गया हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 14वें वित्त से प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथाः जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और शमशानों के रख-रखाव हेतु किया जाना चाहिए था, जबकि इकाई द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर इस धनराशि से निर्माण कार्यों को कराया गया।

अतः शासनादेश का उल्लघंन कर इकाई द्वारा 14वें वित्त की धनराशि से ` 34.47 लाख के गैर-अनुमन्य कार्यों को कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1:- विभिन्न अनुदानों में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 73 प्रतिशत से कम व्यय किया जाना।

नगर पालिका परिषद् मसूरी की अनुदान पंजिका एवं बजट पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 में विभाग के पास उपलब्ध बजट के सापेक्ष 32 से 73 प्रतिशत ही व्यय किया गया था जबकि अनुदान से सम्बन्धित दिशा-निर्देशो मे यह स्पष्ट रुप से उल्लिखित होता है कि समस्त/अधिकतम धनराशि का उपयोग कार्य-योजनाओं पर करने के पश्चात वर्ष के अन्त (मार्च 2016) तक उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागो को प्रेषित किया जाए।

परन्तु निम्न विवरण के अनुसार उपयोग से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पालन नही किया गया था।

क्र.सं.	मद का नाम	उपलब्ध अनुदान	व्यय	प्रतिशत
1.	13 वाँ वित्त	2,39,50000	165,98,355	70%
2.	रैन बसेरा	50,00,000	36,45,036	72%
3.	पर्यटन	17,15,380	5,52,667	32%
4.	ठोस अपशिष्ट	50,96,921	26,84,392	53%
5.	ए.बी.सी. कैम्पस निर्माण	30,00,000	16,98,641	57%
6.	अवस्थापना	3,13,67,394	113,58,241	36%

इस प्रकार विभाग द्वारा उक्त 6 मदो में उपलब्ध बजट के अनुसार कार्य योजनाओं का क्रियान्यवयन नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि कार्य योजनाए प्रगति पर है तथा अनुदान वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उपयोग नही किया जा सका। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग के पास क्रम सं. 3, 4 व 6 में पूर्व वर्षो की अनुदान राशि भी असमायोजित पडी थी तथा जिसका विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया था। प्राप्त अनुदान के समय पर व्यय होने के कारण सम्बन्धित विभागो द्वारा दूसरी किस्त अवमुक्त नहीं की जाती है जिसके कारण कार्य योजनाओं मे विलम्ब तथा समय से क्रियान्वयन नहीं हो पाता हैं।

अतः उपलब्ध अनुदान/बजट का सुसमय उपयोग न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 2:- होटल लाइसेंस फीस को पिछले पाँच वर्षो से पुनरीक्षित न किया जाना।

शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस को प्रत्येक पाँच वर्ष में बढ़ोतरी की जानी चाहिये जिससे इकाई की आय में बढ़ोतरी की जा सके एवं सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान पर निर्भरता मे कमी आए तथा जन कल्याण के कार्यो को कराया जा सके।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी की लाइसेंस फीस से सम्बन्धित पत्राविलियों की जाँच मे पाया गया कि कार्यालय के द्वारा पिछले पाँच वर्षो मे होटलों की लाइसेंस फीस मे कोई बढ़ोत्तरी नही की गई है तथा इस सम्बंध में कार्यालय के द्वारा कोई कार्यवाई सम्बंधित पत्रावलियों में नही पाई गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया कि वर्तमान मे सदन से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है नियमानुसार कार्यवाई की जा रही हैं। उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि पिछले पाँच वर्षो के दौरान लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतर नही की गई तथा लेखापरीक्षा तिथि तक इस सम्बंध मे कोई कार्यवाही नही की गई थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पालिका परिषद, मसूरी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय